P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-I, August-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

राजस्थान के डूँगरपुर जिले में राज्य स्तरीय सीमा पर वन तस्करों का प्रभाव (भागागढ़ वन क्षेत्र के संदर्भ में)

मोनिका रोत
प्रवक्ता
भूगोल विभाग
एस0 बी0 पी0 राजकीय विद्यालय
डुंगरपुर, राजस्थान

सारांश

किसी भी क्षेत्र का वन, उस क्षेत्र में विधमान पारिस्थितिक कारको तथा जलवायु , मृदा, भू– आकृति एवं विगत इतिहास (मय जैविक कारक तथा मानव द्वारा प्रबंधन) आदि के समकालिक (इंटीग्रेटेड) प्रभाव का प्रतिफल होता है। डूँगरपुर जिले में अच्छे घनत्व युक्त वन पाये जाते है तो पश्चिमी भाग में मात्र छितरे झाडीनुमा कंटक वन ही पनप पाते है। अतः इन्ही प्राकृतिक विषमताओं के परिणामस्वरूप क्षेत्र में वैविध्यपूर्ण नैसर्गिक आवास है जिनकी जैव विविधता उल्लेखनीय हैं। वन, वनस्पति में अन्तर होने के फलस्वरूप वन, पशु , पक्षी यहॉ भांति–भांति के मिलते है और उनके संकटापन्न तथा दुर्लभ वन्य प्राणियों की प्रजनन क्रिया इन वनों के अभ्यारण्य में होती हैं।

मुख्य शब्द : इंटीग्रेटेड, समकालिक, बायोटिक प्रेंशर, विक्षोभ, छत्र अनाच्छादन (क्राउन कवर)

प्रस्तावना

अतीत में ' भीलो की पाल या डूंगरिया भील की ढ़ाणी ' कहा जाने वाला, राजस्थान प्रदेश के सुदूर दक्षिण में अरावली की उपात्यकाओं के ऑचल में अवस्थित जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिला $23^0$20′ से $24^0$01′ उत्तरी अक्षांश एवं $73^0$22′ से $74^0$23′ पूर्वी देशान्तर के बीच फैला हुआ है, जिले की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम लम्बाई 105 कि.मी. एवं उत्तर से दक्षिण के बीच की अधिकतम लम्बाई 105 कि.मी. हैं जबकी उत्तर से दक्षिण के बीच की अधिकतम चौडाई 72 कि.मी. हैं जिले का सामान्य धरातल समुद्रतल से 320 मीटर ऊचॉ हैं। जबकि पहाड़ियॉ 552 मीटर ऊॅची हैं। जिले का अधिकाश भाग पर्वतीय प्रकृति का हैं। जिले के गलियाकोट कस्बों से कर्क रेखा गुजरती हैं। जिले में माही, सोम, मोदर, मोरन, वात्रक आदि नदियॉ हैं। सोम नदी उदयपुर जिले एवं माही नदी बांसवाडा जिले के साथ इसकी सीमाओं का निर्धारण करती है। सोम कमला अम्बा, अमरपुरा, लोडेश्वर, मारगियां यहॉ के प्रमुख बॉध हैं।

यहॉ विशिष्ठ अध्ययन बिछीवाड़ा खण्ड़ मेवाडा रेंज के भागागढ़ वन क्षेत्र का किया गया हैं।

जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर मेवाडा वन में रानीझुला 935 हेक्टयर, रातापानी 1022 हेक्टयर, रामसागडा 840 हेक्टयर , वेड 3714 हेक्टयर , भागागढ 1123 हेक्टर वन क्षेत्र फैला हुआ है। भागागढ तथा रानीझुला क्षेत्र में शीशम सागवान, तेदुपत्ता , कंजडी , नीम, कंटीले पेड, सहित कई वृक्ष असंख्या में मौजूद है। यहॉ की स्थिति आधा दशक पूर्व और भी बेहतर थी। घने जंगल के कारण यहॉ काफी जंगली जानवर जिसमें पैंथर, सियार, और जरख जैसी प्रजातियॉ मौजूद थी। लेकिन अब कम हो गए है। यह जंगल राजस्थान और गुजरात, की सीमा में दोनों और फैला हुआ है। वन तस्करों ने इन जंगलों को गुजरात सीमा में पूरी तरह से विगत पॉच वर्षो में साफ कर दिया है। राजस्थान की सीमा में मेवाडा वन रेंज के जितने भी क्षेत्र है जैसे भागागढ, रानीझूला, रातापानी, मालमाथा, वेड, लक्ष्मणपुरा, बलवाडा में जंगल साफ करने के बाद वन तस्करों की सक्रियता राजस्थान के दक्षिणी इलाके में तेजी से आई है। पूर्व मे वन तस्कर कुल्हाडी व आरी से पेडकाटकर उन्हें जंगल के भीतर ही सीमा पार पहुंचा देते थे। लेकिन अब ऑटोमेटिक आरिया चलन में है छोटे वाहनों में सवार होकर आने वाले इन तस्करों ने स्थानीय वनकर्मियों व छोटे से लाभ के लिए बहकावे में आने वाले लोगों की मिली भगत से कुछ देर में कई सुखे किमती पेडों के साथ–साथ हरे पेड काटकर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं।

वही पुराने अदांज में कुल्हाडी व आरी के उपयोग से पेडों की अंधाधुन्ध

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-I, August-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

कटाई इन क्षेत्रों में लगातार जारी है। ऐसे में अब कई भाग जंगल के मध्य ऐसे दिखाई देते है जहॉ चारों और पेड है और बीच में ठूठों के मैदान साफ दिखाई देते है। जंगली जानवरों के बजाय पालतु पशु , जंगल में मानवीय हस्तक्षेप होने से अब वन्य जीवों का पलायन हो गया है या शिकारियों के हाथ लग गए है। लम्बें समय बाद इन्हीं वन क्षेत्रों में एक पैथर की मौजूदगी की पुष्टी हुई थी। लेकिन अब स्थिति फिर से पूर्ववत हो गई है। वन्य जीवों के कारण सामान्य रूप से वन परिसर क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। साथ ही वन तस्कर घुसपैठ करने से बचते भी है लेकिन उनकी अनुपस्थिति भी जंगलों की कटाई का एक बडा कारण है वन क्षेत्र के चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई है इसके बाद भी पालतु पशुओं का भीतर घुसना वन विभाग की निगरानी प्रणाली पर सवाल उठाता है।

वनों से हरे सागवान के पेड काटने का सिलसिला अब भी जारी है रोजाना पेडों की धडल्ले से कटाई हो रहीं है। लेकिन वन विभाग की और से इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वन विभाग की और से गश्त में आ रही शिथिलता को लेकर ही तस्कर सक्रिय हो रहे है। क्योंकि वन विभाग के कमी इन कटे पेडों को जब्त करने की भी जहमत नहीं उठा रहे है। ऐसे में तस्करों के साथ–साथ वन–विभाग की भी सॉठ–गॉठ उजागर हो रही है। जिले में भागागढ एक ऐसा क्षेत्र रह गया है जहॉ हरे सागवान दिखाई देते है । लेकिन यहॉ भी धीरे–धीरे पेडों की संख्या में कमी होती जा रही है। पेडों को काट कर नालों एवं पत्तों के नीचे दबाकर रखा जाता है जिसे दूसरे दिन उन वृक्षों को धीरे–धीरे घर ले जाते है। वनों से लगातार हो रही पेडों की अंधाधुन्ध कटाई से पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। जिले की वन सम्पदा खत्म हो रही है। इसका सीधा असर वन्य जीवों और पर्यावरण पर पड रहा है वन क्षेत्र भी कम होने लगा है। आसपास कई लोग अपने घर बनाकर रहने लगे है। ऐसे में जंगलों के बचाव की और ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

अध्ययन का महत्व

किसी भी क्षेत्र में वन प्रकृति प्रदत्त अनूठा संसाधन होता हैं साथ ही किसी राज्य या जिले की अर्थव्यवस्था के विकास में वनो की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है यह अरावली की पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अधिकतर कंटिली झाडियॉ वाले वन अधिक पाये जाते है साथ ही इन झाडियों के वनों में इमारती लकडियां उत्तरी एवं पूर्व राजस्थान के हिस्सो में नहीं पाई जाती है परन्तु इस क्षेत्र में सागवान, शीशम, धोक, बहेड़ा, सालर, महुआ, आम, बबूल, नींम, पलाश, पीपल, बेर, इमली, अडूसा, कड़ई, बांस आदि वृक्षों की अधिकता हैं। क्षेत्र से इमारती लकड़ी सागवान, शीशम राजस्थान के सभी क्षेत्रो में पहुचाई जाती हैं तथा लाख, कत्था, गोंद (धावडा, खैर) शहद, जगली जडी – बुटियॉ आदि भी काफी मात्रा में पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला से सटे इस जिले के जंगलो में 100 से अधिक वनस्पतिक औषधीय प्रजातियां विधमान है। राज्य में 23 विलुप्त प्रायः प्रजातियों में से 13 प्रजातिया यहॉ के जगलो में देखने को मिलती है इनमें से श्योनाक, बीजासाल, गुगल, हरड़ बहेडा जैसी प्रजातियॉ शामिल है। इतना नहीं यहां हाईटेक नर्सरी में रूद्राक्ष, कल्पवृक्ष, सिंदुरी व विदेशी पौधा यूका जैसी नई व दुर्लभ प्रजातियों को भी तैयार करने में सफलता मिली है ऐसे यहॉ औषधीय अध्ययन केन्द्र खोलने की भी पर्याप्त संभावनाऐ हैं। क्षेत्र में वानिकी की विविधता समूह होने की वजह से यहॉ साल भर जलाशयों पानी भरा रहता हैं जिसकी वजह से जलीय एवं प्रवासी दुर्लभ पक्षीयों की संख्या भी अधिक हैं। जिले में संकटापन्न पादपो में वनों के विनाश से अनेक वनस्पत्तिया घटते–घटते शनैः शैनेः दुर्लभ हो जाती है। जो कालान्तर में कानन हनन के साथ वे संकटग्रस्त हो जाती है डूँगरपुर जिले में विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि, वनो पर बढ़ते दबाव, अनियन्त्रित विदोहन में प्राकृतिक शुष्मा को क्षति पहुचाई है। सबसे अधिक खतरे में वे जड़ी – बुटियॉ है , जिनकी जड़े दवाईयों में प्रयोग में आती है। तथा नियमित रूप से इनकी कृषि नहीं की जाती है। मुख्यतः संकटापन्न प्रजातिया जैसे गुंसी, पानीवेला, कितामार, मलजान,श्लेष्मान्तक (पुरा), बिजोरा नीबू, गुगल,पाताल गरूडी, केवकंद, जंगली हल्दी,धतुरा,सालममिश्री, सेहुण्ड प्रजाति, कलिहारी, कुरची, जीवन्ती, हेमकन्द,करलू, रूगट्रोरा,रसना,अतिबला, अगार्धाअल्बा,बड़ा गोखरू सफेद बेल गमओलिरियोन आदि। असुक्षित प्रजातियों में काली मुसली, भेण्डू, राम तुलसी , सूरण, बिलाईकन्द, गोरखमुण्डी, खसखस, सेमलता साथ ही दुर्लभ प्रजातियों में जंगली अंगूर , विधारा, कब्र, रामचना, मालकांगली, सफेद मूसली, भाटवेल, हड़जोड़, सारीवन, दीर्घमूली, छोटी चिरायता, बायकल, तालमखाना, जरकोना, मोहिन, बडा गुमा, झरसी आदि वनस्पत्तियॉ हैं।

जनजातिय क्षेत्र में स्थानीय लोग वनो से प्राप्त चारा ईधन, इमारती लकडी, फल–फूल जडी – बूटियॉ स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते है एवं निकटतम शहर में सूखी लकड़ियॉ, शहद, जड़ी–बूटियॉ बेचकर अपनी आजीविका को चलाते हैं। पूर्व से जनजाति समाज वनो पर ही निर्भर हैं वर्तमान में तीव्रगति से जनसंख्या वृद्धि एवं अनियत्रित विदोहन वन बर्बादी का कारण बन रहे है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. वनीय क्षेत्र के वितरण विकास एवं विनाश की गति को बताना
2. दुर्लभ एवं संकटापन्न वृक्षो के बारे में बताना
3. वन विनाश रोकथाम के उपाय, समस्या एवं समाधान शोंध पत्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

उपकल्पना

1. वन वितरण की स्थिति को जानना
2. वनीय क्षेत्र विकास में कौनसा कारक कितना प्रभावित करता है

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-I, August-2014
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

3. किन कारणेां से वनो का विनाश हो रहा है का अध्ययन करना।

शोध विधि

वन विभाग एवं जिला सांख्यकीय रूपरेखा के प्रतिवेदन के माध्यम से वन वितरण स्थिति व परिर्वतन को बताया गया है। शोंध तकनीकी के तहत पर्यवेक्षक आधारित क्षेत्र सर्वेक्षण के द्वारा क्षेत्र का अध्ययन किया गया जिसमें द्वितीयक तथ्यात्मक आंकडो के आधार पर तालिका तैयार कर विश्लेषण कर शोंध पत्र तैयार किया गया हैं।

शोध उपकरण

जिले में वन मण्ड़ल के अधीन 85 वन खण्ड़ो में 69498.453 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है जो जिले के कुल 3770 वर्ग कि.मी. का 18.38 प्रतिशत है वन क्षेत्र की रेंजवार जिले में 37.04 प्रतिशत आरक्षित 60.99 प्रतिशत रक्षित एवं 1.97 प्रतिशत अवर्गीकृत वन (2006) के आंकड़े अनुसारहैं।

सारणी –1रेंजवार वन क्षेत्र

क्र.स.	नाम रेंज	आरक्षित	रक्षित	अवर्गीकृत	योग
1	डूंगरपुर	6355.084	6000.288	1036.20	12329.512
2	बिछीवाड़ा	12771.816	1745.090	209.84	14563.136
3	सीमलवाडा	–	14456.059	–	14456.059
4	आंतरी	7249.312	4637.272	150.992	12037.408
5	सागवाडा	–	7895.696	–	7895.696
6	आसपुर	332.312	7598.065	60.00	7990.972
7	योग(हेक्टयर में)	25708.356	42333.065	1457.032	69498.453
	प्रतिशत	37.04	60.99	1.97	100

स्त्रोंत कार्यालय उपवन संरक्षक डूंगरपुर पृ. सं 66.

सारणी – 2 वनीय क्षेत्र में वास्तविक परिर्वतन (1970 से 2013)

क्र.स.	जिला	1970–71	1980–81	1990–91	2001–2010	2011–2013	परिर्वतन प्रतिशत में
1	डूंगरपुर	15.71	16.87	15.78	15.80	18.38	1970–2013
	परिर्वतन	+1.16	–1.09	+0.02	+.09	–2.58	–2.4

स्त्रोंत कार्यालय उपवन संरक्षक डूंगरपुर पृ. सं 58.

प्रदत्तों का विश्लेषण

यदि किसी भी वनीय क्षेत्र में से वन काटे जाए किन्तु उसी अनुपात से यदि वनों का पुर्नस्थापित एवं विकास न हो तो उसे वन विनाश कहते हैं। डूंगरपुर जिले में विनाश 20 वीं सदी में ही प्रारम्भ नहीं हुआ अपितु आदि काल से ही वनों का विनाश होता आ रहा है। विनाश के प्रमुख ऐतिहासिक काल आर्यो के समय वैदिक काल, मौर्य तथा गुप्त काल, मध्यवर्ती काल 8 वीं सदी से 15 वी सदी तक ब्रिटिश शासन काल तक था। जिले में मुगल साम्राज्य के पहले 52 प्रतिशत वनीय क्षेत्र था। लेकिन 18 वीं सदी के मध्य से 20 वी सदी के मध्य तक सम्पूर्ण राजस्थान में ब्रिटिश शासक राजस्थान के वनों के विषय में सोचते थे। कि ये भी वन कभी समाप्त नहीं होगें इस कारण उस समय अंग्रेजों ने वनो का अत्यधिक शोषण किया। स्वतन्त्रता से पहले डूंगरपुर में वनों का विनाश जिस गति से हुआ उसी का विनाशकारी प्रभाव आज सम्पूर्ण जिले को भुगतना पड़ रहा है। उस समय 1951–52 में पूरे डूंगरपुर में लगभग कुल क्षेत्रफल के 1573.41 वर्ग किलोमीटर भूमि में घने घनत्व लिये हेऐ वन थे। वर्तमान में यदि वनीय क्षेत्र में वास्तविक परिर्वतन 1970 से 2013 तक देखे तो 1960 तक 50 से 52 प्रतिशत वन इस क्षेत्र में थे। लेकिन 1970 से 2013 तक 18.38 प्रतिशत ही वन हैं। लगातार वन विनाश हो रहा है उसका मुख्य कारण तीव्र गति बढती हुई जनसंख्या है। अपनी आवश्यकताओं के लिये भौतिकवाद संस्कृति से जुड़ने की परिस्थिति में राज्य स्तरीय तस्करों ने वनीय जैव विविधता पर आक्रमण किया है। अब जिले में मात्र 18 प्रतिशत वन उपलब्ध हैं।

यहॉ 1901 में 1,00,103 जनसंख्या थी वहीं बढ़कर 2011 में 13,89,906 जनसंख्या बढ़ गई है वन विनाश का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना है। इसरी और राजस्थान की सीमा पर बसे गांवो के लोग गुजरात पर ज्यादा निर्भर है राजस्थान के बांसवाडा – डूंगरपुर , हिम्मतपुर गांव पंचायत विरपुर डूंगरपुर शहर से मात्र 39 कि.मी. की दुरी पर है इसी तरह गुजरात राज्य से सांबरकाठा, रेणलावाडा, डूंगरपुर शहर से 21 कि.मी. की दूरी पर स्थित है जिला अरावली के रेणलावाडा पंचायत के नवागाम, नवाकुआ, पांडवाला गेड, छीटादरा जैसे है जिले के पश्चिमी भाग में गुजरात राज्य की सीमा लगती है एवं पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य की सीमा लगती है इसी वजह से राज्य स्तरीय तस्कर वन विनाश करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे। क्योंकि तस्कर कीमती वृक्ष की लकड़ियॉ, औषधीयां वन्य पशु की की खाले इत्यादि कीमती वस्तु को तस्कर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बेच देते हैं। डूंगरपुर जिले में वन घनत्व की स्थिति के अनुसार वन क्षेत्र में जैविक विक्षोभ (बायोटिक प्रेशर) के कुप्रभाव से वनो में घनत्व की कमी आ गई है। अवैध कटान, तस्करों का वन क्षेत्र में हस्तक्षेप, अनियत्रित चराई के फलस्वरूप नई पौध नहीं पनप पाई है और छत्र अनाच्छादन (क्राउन कवर) शनैः शनैः घट रहा हैं। सघन

वन भ्रमण से क्षेत्र की निम्न समस्याऐ उजागर वन विनाश के कारण हुई है।

1. बिछीवाडा खण्ड के मेवाडा वन रेन्ज के वेड, रानीझूला, भागागढ क्षेत्र में गुजरात राज्य स्तरीय तस्कर सक्रिय है।
2. वन क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप से जंगली जानवरों ने अपना आवास तथा अपना स्थान बदला है एवं दुर्लभ प्रजातियॉ विलुप्त हुई है।
3. लगातार हरे एवं बेशकीमती पेडों की अवैध कटाई होने पर भी प्रशासन व वन विभाग ने ठोस कार्यवाही के कदम नहीं उठाए है।
4. वन क्षेत्र परिसर के चारों तरफ तारबन्दी नहीं होना पाया है।
5. वन क्षेत्र परिसर के चारों तरफ सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिक शॉट का नहीं होना पाया है।
6. वन क्षेत्र परिसर के बाहर पक्का परकोटा न होना।
7. प्रशासन तथा वन विभाग ने अब तक कोई उल्लेखनीय कार्यवाही कर्मचारियों के विरूद्ध नहीं करते है।
8. होमगार्ड तथा वनकर्मियों के पास सुरक्षा हेतु धारधार हथियारों का अभाव है।
9. संचार सुविधाओं का अभाव ।
10. रामसागडा, रातापानी, कापडवेल वन चौकियां , खण्ड्र में तब्दील जो घने जंगलों में है।
11. स्टाफ की कमी होने के कारण वॉच टावर वर्तमान में बंद पडा हैं।
12. क्षेत्र की वन सम्पदा व वनौषधियॉ समाप्ती की ओर अग्रसर हो गई है।
13. पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है।

निष्कर्ष

इतिहास साक्षी है कि विश्व की कई विकसित एवं महान सभ्यताओं के खत्म होने का मुख्य कारण वहां की उत्पादकता का नष्ट होना रहा हैं। जमीन की उत्पादकता बहुत हद तक जंगलो पर निर्भर करती हैं। वनस्पति से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पानी, पानी से भूमि की सिंचाई एवं उत्पादकता में वृद्धि होती हैं। वर्तमान में बढते औधोगिकीकरण एवं नगरीकरण एवं वन तस्कर सक्रिय होने के कारण जिले की प्राकृतिक संपदा नष्ट होती जा रही है। प्राचीनकाल में डूँगरपुर जिले का बड़े भू–भाग घने वनों से आच्छादित था तथा घने वनों के रूप ही में ही यह क्षेत्र सदैव विख्यात रहा हैं। जनसंख्या की तेजी से वृद्धि, भूमि पर निरन्तर बढ़ते दबाव, सड़क मार्गो के विस्तार, वन उपज की रियायतें, वन तस्करों की घुसपैठ जनजातियों की वनों पर अत्यधिक निर्भरता आदि के कारण शनैः शनै यहॉ के सघन वनों का विनाश हो रहा है। जिससे वन एवं वनौषधि के क्षेत्र में निरन्तर गिरावट आई हैं। परिणामतः क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडा हैं।

सुझाव

1. स्थानीय वनकर्मी तथा सक्रीय तस्कर की मिली भगत से चलने वाले गोरखधन्धे को प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा खत्म करने के लिए कानूनी कार्यवाही सख्ती से की जाए।
2. दुर्लभ प्रजातियों की वनौषधियॉ, बेशकिमती वृक्षों, व पशु–पक्षियों के लिए आवास व प्रजनन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप न हो।
3. वन क्षेत्र परिसर के चारों तरफ तारबंदी की जावे।
4. वन क्षेत्र परिसर के चारों तरफ सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिक शॉट लगाऐ जावे ।
5. वन क्षेत्र परिसर के चारों तरफ पक्का परकोटा विभाग द्वारा बनाया जावे।
6. वनकर्मियों को लाठी के बजाय धारधार हथियार उपलब्ध कराये जावे।
7. स्थानीय वन चौकियों पर संचार सुविधाएं सुव्यस्थित हो।
8. खण्डर में तब्दील वन चौकियों की मरम्मत हो।
9. वन क्षेत्र के आस–पास रहने वाले स्थानीय जनजातिय लोग व स्वंय सेवी संस्थाऐ वन संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाएं।
10. समय रहते प्रशासन व वन विभाग व स्थानीय लोगों के सहयोग से बडे पैमाने पर हो रहे वन विनाश की रोकथाम के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता है अन्यथा दक्षिणी राजस्थान का चेरापूंजी कहलाने वाला यह क्षेत्र **''वन गये वन पुत्र हाथ मलते रह गये''** यह बात चरितार्थ हो जायेगी।

संदर्भ

1. रोत, एच.सी. (1995) : पर्यावरण ह्रास व भील समाज में सामाजिक आर्थिक विकास का स्थरीकरणपृष्ठ 1.
2. मारूताई, डिसूजा (1993) : आदिवासी दवादूरी प्रथम संस्करण, पृष्ठ 48.
3. गुप्त, आशुतोष (1998) : राजस्थान सुजस अंक जनवरी, पृष्ठ 23–26.
4. डिन्डोर, वालचन्द (1993) : वन विनाश व उसके परिणाम , पृष्ठ 32–35.
5. बरडिया, रतनलाल (1994) : अर्थ भारती अंक 27 पाक्षिक पत्रिका फरवरी पृष्ठ 1.
6. वैद्य, जियालाल (1998–1999) : गुणी दर्शन पृष्ठ 1.
7. रोत, एच.सी. (1994) : ए स्टडी ऑफ मेडीस्नल प्लान्ट्स युस्ड बाय ट्रायबल फॉर देअर रीमेडी ऑफ वरीयस डीसीस पृष्ठ 1
8. जैन एस.के. (1967) : मेडीस्नल प्लान्ट्स नेश्नल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया
9. अग्रवाल ए.पी. (1985) : फोरेस्ट ऑफ इंडिया एन्वायरमेन्टल एंड प्रोडक्शन फोरोन्टीस नई दिल्ली आक्सफोर्ड एंड आईबीएच
10. वन मंडल डूंगरपुर (2000) : स्वर्ण जयन्ति वृक्ष कुंज पृष्ठ 1.
11. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द : डूंगरपुर राज्य का इतिहास पृष्ठ 20–23.
12. www.dungarpur.nic.in